



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-03032026-270635
CG-UP-E-03032026-270635

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1048]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2026/फाल्गुन 11, 1947

No. 1048]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2026/PHALGUNA 11, 1947

रेल मंत्रालय

(उत्तर मध्य रेलवे / निर्माण विभाग)

अधिसूचना

प्रयागराज, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 1100(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के जिले आगरा में विशेष रेल परियोजना अर्थात् आगरा फोर्ट-बांदीकुई रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना (150 किमी.) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) सदर आगरा उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अननुज्ञात कर सकेगा उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा फोर्ट-बांदीकुई के मध्य दोहरीकरण रेल परियोजना (150 किमी.) के लिए आगरा जिले में जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।					
क्र. सं.	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रेलवे द्वारा अधिग्रहण किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	आगरा	सदर	चौहटना	302	0.0167
				304	0.0420
				306	0.0328
				352	0.2062
				योग	0.2977
2.	आगरा	सदर	जोगीपुरा	53क	0.0138
				60क	0.0140
				60मि	
				योग	0.0278
3.	आगरा	सदर	भोगीपुरा	1217मि	0.0570
				1217क	
				1212	0.1335
				1210	0.0366
				1210क	
				1118	0.0100
				1218/2	0.0253
				योग	0.2624
				कुल योग	0.5879
4.	आगरा	किरावली	सहता	138	0.0690
				193	0.0625
				190	0.0390
				योग	0.1705
5.	आगरा	किरावली	अछनेरा देहात	322	0.0405
				321	0.0523
				योग	0.0928
6.	आगरा	किरावली	रायभा	850मि	0.0786
				850क	
				852	0.0180
				योग	0.0966
				कुल योग	0.3599

[फा. सं. एनसीआर-एचक्यूथून्यसीईएनजी(एलएएनडी)/6/2024-ओ/ओ डिप्टी चीफ इंजी./कन्स्ट्रक्शन-एक/एजीसी (कम्प्यूटर संख्या: 114142)]

राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Central Railway (Construction Department)]****NOTIFICATION**

Prayagraj, the 16th February, 2026

S.O. 1100(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Agra Fort - Bandikui doubling Railway project (150 km) in the district of Agra in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, (District Agra) Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project, Namely Agra Fort - Bandikui in District of Agra in the state of Uttar Pradesh.					
S.N.	DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE NAME	PLOT No.	Acquired Area(Hec.)
1	2	3	4	5	6
1.	AGRA	SADAR	CHAUHATANA	302	0.0167
				304	0.0420
				306	0.0328
				352	0.2062
				TOTAL	0.2977
2.	AGRA	SADAR	JOGIPURA	53क	0.0138
				60क	0.0140
				60मि0	
				TOTAL	0.0278
3.	AGRA	SADAR	BHOGIPURA	1217मि	0.0570
				1217क	
				1212	0.1335
				1210	0.0366
				1210क	
				1118	0.0100
1218/2	0.0253				
				TOTAL	0.2624
				GRAND TOTAL	0.5879

4.	AGRA	KIRAOLI	SAHATA	138	0.0690
				193	0.0625
				190	0.0390
				TOTAL	0.1705
5.	AGRA	KIRAOLI	ACHHNERA DEHAT	322	0.0405
				321	0.0523
				TOTAL	0.0928
6.	AGRA	KIRAOLI	RAIBHA	850 ^{१०}	0.0786
				850 ^{११}	
				852	0.0180
				TOTAL	0.0966
				GRAND TOTAL	0.3599

[F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/6/2024-O/o DY.CE/C-I/AGC (Computer No.114142)]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer/Const.